



निवासी व्यक्ति का खाता खोलने का फार्म (भाग-I)  
में उत्कृष्टता के लिए देशव्यापी दूरगामी पहल ग्राहक सूचना शीट (सीआईएफ सृजन/संशोधन)  
(संयुक्त खाते के विषय में (भाग-I) (सीआईएफ शीट) प्रत्येक ग्राहक के लिए लेनी है।

दिनांक

शाखा का नाम  शाखा कोड

तारांकित (\*) को भरना अनिवार्य है। कृपया ब्लॉक अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए ब्लैक स्याही का उपयोग करें  
(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

ग्राहक आई डी:  आवेदन का प्रकार  नया  अद्यतन करना

खाता क्र.  सीकेवाईसी क्र.

खाता का प्रकार  सामान्य  लघु (कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए)

Bank/Branch to affix rubber stamp of name and code no.

(सीकेवाईसी सी अपडेट अनुरोध अनिवार्य है)

### 1. निजी विवरण

वर्तमान ग्राहक आईडी: (यदि लागू हो)

नाम\*

(जैसा आईडी प्रूफ में है) उपाधि

विवाह पूर्व उपनाम\*

जन्मतिथि\*  लिंग\*  पुरुष  महिला  ट्रांस जेंडर वैवाहिक स्थिति\*  विवाहित  अविवाहित  अन्य

माता/पिता/पति/पत्नी का नाम

(कृपया टिक करें) (यदि पैना नहीं दिया गया है तो पिता का नाम अनिवार्य है)

आश्रित

निरक्षर  हाँ  नहीं यदि हाँ, पहचान चिह्न

संरक्षक का नाम

(अवयस्क के मामले में\*) संरक्षक के साथ संबंध

राष्ट्रीयता\*  भारत में  अन्य देश का नाम

व्यवसाय प्रकार\*  एस-सेवा  निजी क्षेत्र  सार्वजनिक क्षेत्र  सरकारी क्षेत्र  
 ओ-अन्य  पेशेवर  स्व-नियोजित  सेवानिवृत्त  गृह स्वामिनी  छात्र  
 बी-व्यवसाय  एक्स-वर्गीकृत नहीं, कृपया निर्दिष्ट करें.....

मासिक आय\* रु.  निवल मालियत (लगभग मूल्य) रु.

धर्म:  हिंदू  मुस्लिम  ईसाई  सिख  अन्य.....

श्रेणी:  सामान्य  अ.पि.व.  अ.जा.  अ.ज.जी.

दिव्यांग  हाँ  नहीं  यदि हाँ,  i. दृष्टि बाधित  ii. भिन्न क्षमता वाले

शैक्षणिक योग्यता  एसएससी से कम  एसएससी  एचएससी  स्नातक  स्नातकोत्तर  व्यवसाई  अन्य

संगठन का नाम  पदनाम/व्यवसाय:  व्यवसाय की प्रकृति

प्रयोज्य बाक्स पर टिक करें\*:  राजनैतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति  राजनैतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति के साथ संबंध  कोई नहीं

आईएसओ कोड 3166 निवास के अधिकार क्षेत्र का देश कोड\*  (इंडिया के लिए कोड IN ह)

स्थान/जन्म स्थान का शहर\*  आईएसओ 3166 जन्म वाले देश का कोड  नागरिकता

केवल भारत में कर निवास का देश और भारत के बाहर किसी अन्य देश या राज्य क्षेत्र\*  हाँ  नहीं (यदि नहीं तो कृपया क्र-डब-विवरण फार्म भरें-अनुलग्नक II)

पैन\*/कर पहचान संख्या या समकक्ष (यदि क्षेत्राधिकार द्वारा जारी किया गया है)  (यदि पैना प्रस्तुत नहीं किया गया है तो फार्म 60 जमा करें - अनुलग्नक I)

### 2 संपर्क विवरण (सभी पत्रादि प्रदत्त मोबाइल नं./ईमेल-आईडी पर भेजे जाएंगे)

मोबाइल नं.  ईमेल आईडी

वैकल्पिक मोबाइल नं.  एसटीडी टेलीफोन (नं.):

टेलीफोन(आवास)

### 3 पहचान / पते का प्रमाण (कृपया उपयुक्त बॉक्स (किसी एक आईडी प्रकार पर टिक करें) और विवरण दें)\*

क-पासपोर्ट  I- वोटर पहचान कार्ड  ग-ड्राइविंग लाइसेंस  घ-यूआईडी (आधार)  कोई अन्य

ड नरेगा जॉब कार्ड  च-राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम व पता दिया गया हो

एस- सरलीकृत उपाय खाता दस्तावेज(प्रकार कोड)

दस्तावेज कोड	विवरण
O1	केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियमित अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वितीय संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो
O2	किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें उस व्यक्ति की फोटो विधिवत सत्यापित की गई हो

दस्तावेज क्र./पहचान क्रमांक\*

जारी करने की तिथि:\*  समाप्ति की तिथि(यदि लागू हो):\*

### 4 पते के विवरण | वर्तमान | स्थायी | विदेश में

पते का प्रकार\*  निवास/व्यवसाय  निवास  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  अनिर्दिष्ट

पता\*

शहर/गाँव\*  जिला\*

राज्य\*  पिन\*

### 5 पते के विवरण | पत्राचार | स्थानीय | वर्तमान/स्थायी पते के समान

पते का प्रकार\*  निवास/व्यवसाय  निवास  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  अनिर्दिष्ट

पता\*

शहर/गाँव\*  राज्य\*

जिला\*  पिन\*

### 6 यदि दिए गए पते के प्रमाण (जतऊ) में वर्तमान पता नहीं है, तो कृपया नीचे दिया गया कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपभोक्ता बिल  पीपीओ/एफपीपीओ  प्रापर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स की रसीद

नियोक्ता / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वितीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया आवास आवंटना पत्र। इसी तरह आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के लीव और लाइसेंस करार

दस्तावेज क्र.  तारीख

### 7 घोषणा सह बचनबंध सह स्व प्रमाणन

मुझे दी गई खाता खोलने के नियम और शर्तों की प्रति मैंने पढ़ ली है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने/हमने इन्हें समझ लिया है मैं/हम उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए स्वेच्छा से पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।

2. मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीआई से सत्यापन कर सकता है और यूआईडीआई को स्पष्टता अधिकृत करता /करती हूँ कि वह बायोमेट्रिक अनुप्रमाणन के माध्यम से पहचान और पता बैंक को दे सकता है

हाँ  नहीं

फोटो\*  
चिपकाएं  
हाल ही में लिया गया फोटो  
स्टैपल न करें

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान  
कृपया काली स्याही से हस्ताक्षर करें

स्थान

दिनांक

### 8 कार्यालय के उपयोग/अनुप्रमाणन हेतु | प्राप्त दस्तावेज | स्व प्रमाणितफ | सत्य प्रति | नोटरी

क्या खाता खोलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त स्व-प्रमाणन और दस्तावेज सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं। हाँ/नहीं  
(केवल प्रमाणीकरण होने पर शाखा खोलने के लिए तैयार होगी(हों))

प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के लिए निहितार्थ और शर्तें जमाकर्ता को समझाई गई हैं (निरक्षर आवेदक के मामले में अनिवार्य)

जमाकर्ता का प्रकार  निरक्षर  दृष्टि बाधित  स्टाफ  जोखिम श्रेणी:\*  उच्च  मध्यम  निम्न

एक या दो पहचान चिह्नों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे कोई तिल या निशान (निरक्षर आवेदक के लिए अनिवार्य) सत्यापन व्यक्तिगत रूप से किया गया और आवेदक का हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान सत्यापित किया गया:

अधिकारिक नाम:  पीएफ.  पदनाम

तिथि  एसएस न.  हस्ताक्षर

व्यक्तिगत खाता खोलने का फार्म (भाग-II)

(बचत बैंक, चालू खाता और सावधि जमा)

(\* को भरना अनिवार्य है। कृपया केवल ब्लॉक अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें)

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

दनांक

प्रथम आवेदक ग्राहक आईडी

द्वितीय आवेदक ग्राहक आईडी

खाता क्र.

Bank/Branch to affix rubber stamp of name and code no.

मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं कि आप मेरा/हमारा जमा खाता अपनी शाखा / बैंक में निम्नानुसार खोलें: (टिक (✓) संबंधित खाता)

1 खाते का प्रकार

बचत खाता  बीएसबीडी  बीएसबीडीए लघु खाता  चालू खाता  मियादी जमा/ एमओडी/आरडी  कैपिटल गेन (एसबी)

2 परिचालन का तरीका

स्वयं  दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी  पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी  कोई एक या उत्तरजीवी  संयुक्त रूप से परिचालित  अन्य \_\_\_\_\_

3 सेवा अपेक्षित

1 एटीएम -सह-डेबिट कार्ड

प्रथम आवेदक  हाँ  नहीं

द्वितीय आवेदक  हाँ  नहीं

जैसा कार्ड पर चाहिए

(दो से आठ तक की सेवाओं के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है)

2. चेक बुक  हाँ  नहीं

(केवल बचत बैंक/चालू खाता /कैप गेन (बचत) सामान्य बीएसबीडी/लघु खाते के लिए उपलब्ध नहीं है)

3. इंटरनेट बैंकिंग चाहिए:

लेन-देन अधिकार चाहिए

प्रथम आवेदक  हाँ  नहीं

द्वितीय आवेदक  हाँ  नहीं

(केवल एकल परिचालित और संयुक्त परिचालित खाते के लिए लागू दोनों में से एक या उत्तरजीवी मोड द्वारा संचालित। यदि खाते निम्नानुसार संचालित हैं। पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी विधि से संचालित के मामले में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रथम आवेदक को मिलेगी)

4. एसएमएस अलर्ट (प्रभार लागू) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट  हाँ  नहीं

5. फोन बैंकिंग सेवाएं:  हाँ  नहीं

6. मोबाइल बैंकिंग:  हाँ  नहीं

7. पासबुक चाहिए: (बचत बैंक खाता)  हाँ  नहीं

8. ई स्टेटमेंट(मासिक अंतराल पर) पेपर प्रति के बदले:  चाहिए  नहीं

4 मियादी जमा: निम्नलिखित उत्पादों / सुविधाओं के लिए, कृपया विकल्प / विवरण प्रस्तुत करें:

सावधि जमा  सावधि जमा (पुनर्निवेश)  वार्षिकी जमा  कर बचत योजना  कैप्स गेन (टीडीआर)

राशि रु. .... रु.(शब्दों में).....

निरक्षर जमाकर्ता के मामले में रोकड़ अधिकारी द्वारा जमाकर्ता (ओ) का/के नाम, जमा की जा रही राशि और उसकी अवधि अनुप्रमाणित की गई

रोकड़ अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर

अवधि: ..... वर्ष ..... मास ..... दिन

सावधि जमा के विषय में देय ब्याज#:  मासिक  त्रैमासिक  कैंलेंडर तिमाही  छमाही  वार्षिक

परिपक्वता निर्देश:  स्वतः. नवीनीकरण\* मूल और निवेश वापसी ब्याज  स्वतः. नवीनीकरण\* एवं मूल एवं ब्याज  मूलधन एवं ब्याज भुगतान  रु.....के आंशिक राशि सहित आटो नवीकरण\*

\*(नवीनीकरण के दिन प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए ऑटो नवीनीकरण किया जाएगा।)

Ⓐ# (सभी ब्याज देय और परिपक्वता निर्देश विकल्प सभी बैंकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। विकल्पों के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क करें। भुगतान निर्देश (परिपक्वता प्रक्रिया / शेष बची राशि)

Payment instruction (Maturity Proceeds/Residual amount):

मेरे खाते में जमा द्वारा  बैंकर चेक/ड्राफ्ट जारी करें

5 बहु विकल्प जमा योजना/स्वतः नवीनीकरण (ऑटो स्वीप)

जमा का प्रकार  सावधि जमा  सावधि जमा (पुनर्निवेश) जमा की अवधि ..... वर्ष ..... मास

मैं / हम एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ/देते हैं कि बचत बैंक और चालू खाते पर सामान्यतया लागू सेवा प्रभार मेरे / हमारे खाते को नामे किए जाएंगे।

मैं/हम एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ/देते हैं कि नियम और शर्तों के अनुसार एमओडी/स्वतः. नवीनीकरण (आटो स्वीप) सुविधा मुझे/हमें देने के लिए मेरे/हमारे बचत बैंक/चालू खाते को नामे (डेबिट) किया जाए।

लिकड बचत बैंक/चालू खाता क्र.

एमओडी को तोड़ने के लिए स्वतः. नवीनीकरण की सुविधा के तहत एमओडी को तोड़कर:\*  क्रम क्रम भुगतान विधि(लीफो)  क्रम क्रम मूल्यन विधि (फीफो)

(\*यदि आवेदक कोई विकल्प नहीं चुनता है, तो क्रम क्रम भुगतान विधि विकल्प लागू होगा।)

6 आवर्ती जमा फ्लेक्सी जमा

मासिक /कोर मासिक किश्त: रु. .... रु.(शब्दों में) ..... अवधि: ..... वर्ष: ..... मास: .....

स्थायी अनुदेश  डेबिट खाता क्र.

अवधि-समाप्ति पर प्राप्य राशि खाते में जमा करें

बैंकर चेक/ड्राफ्ट जारी करें \_\_\_\_\_

कृपया उपरोक्त सावधि जमा खाते के लिए लागू टीडीएस (आगे दिए गए बचत/चालू खाता क्र. से) काट लें (SB/CA Account No.)

7 नामांकन (यदि आवश्यक फॉर्म डीए -1 भरें)

फार्म डीए -1 (नामांकन फार्म)

नामांकन का विवरण:

पंजीकरण क्र.

बैंक जमा के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और नियम 1985 के तहत नामांकन।

मैं/हम ..... निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं जिसे मेरी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में इस जमा राशि जिसका

विवरण नीचे दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वापस कर दी जाए .....(शाखा / कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा राशि रखी गई है) द्वारा लौटायी जाए।

मैं / हम चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं कि नामांकित व्यक्ति का नाम पासबुक पर छपा हो

जमा का विवरण जमा

जमा का प्रकार: .....

खाता क्रमांक:

नामिती का विवरण

नाम:

नामिती का मोबाइल नं.

जमाकर्ता के साथ संबंध..... आयु.....वर्ष

नामिती के जन्म की तिथि (अवयस्क होने की स्थिति में)

जैसा कि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... आयु.....वर्ष

पता..... को मेरी /नामिती की मृत्यु की स्थिति में अवयस्क की अवयस्कता की अवधि के दौरान जमा राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ।

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

प्रथम साक्ष्य के हस्ताक्षर  
नाम:..... हस्ताक्षर: .....

द्वितीय साक्ष्य के हस्ताक्षर  
नाम:..... हस्ताक्षर: .....

(साक्ष्य तभी आवश्यक हैं यदि आवेदक निरक्षर है और उसने अंगूठे का निशान लगाया है)

तिथि  स्थान .....

मैं/हम इस खाते के लिए किसी को नामित नहीं करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे का निशान)

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे का निशान)

8 घोषणा सह वचन सह स्व प्रमाणन

- मुझे/हमें खाता खोलने के लिए दी गई नियमों और शर्तों की प्रति मैंने/हमने पढ़ ली है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने/हमने उन्हें समझ लिया है और उसे मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
- अवयस्क के खाते के संबंध में मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अवयस्क जिसकी जन्मतिथि ..... है जो मेरा ..... है और मैं उसका नैसर्गिक और विधिमान्य संरक्षक हूँ जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक.....द्वारा नियुक्त किया गया है(प्रतिलिपि संलग्न) मैं उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के संबंध में भविष्य के लेन देन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूँगा/करूँगी जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है। मैं उपरोक्त अवयस्क के दावे के खिलाफ बैंक को उसके खाते में किसी भी आहरण /लेनदेन के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हूँ।
- (सावधि जमा खातों के मामले लागू) अगर जरूरी नहीं ते काट दें) मैं/हम यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि सावधि जमा दोनों में से एक या पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी आवेदन -सह-जमा पर्वी के परिचालन अनुदेशों के मामले में , जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में उत्तरजीवी या पूर्व के मामले में मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना आवेदन के साथ मृतक जमाकर्ताओं के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने समय से पहले समाप्ति /भुगतान करने की अनुमति दे दी जाएगी।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा किसी अन्य बैंक / शाखा में बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) नहीं है (बीएसबीडी खाता के संबंध में लागू)

स्थान:

तिथि:

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

(आवेदक का हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे की छाप)

कार्यालय के उपयोग/अनुप्रमाणन के लिए

(केवल कार्यालय के उपयोग हेतु)

खाता खोलें	खाता	क्यू नं.	संक्षिप्त हस्ताक्षर
तिथि: <input type="text"/> (अधिकृत हस्ताक्षरी)	सीआईएफ लिंकिंग	<input type="text"/>	<input type="text"/>
i) इंटरनेट बैंकिंग(आईएनबी)किट नं.....	वैयक्तिकृत चेक	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ii) इंटरनेट बैंकिंग देखने के अधिकार <input type="checkbox"/> लेनदेन के अधिकार <input type="checkbox"/> दिए गए: <input type="text"/>	रिटेल इंटरनेट बैंकिंग	<input type="text"/>	<input type="text"/>
iii) एटीएम कार्ड भेजने की तिथि: <input type="text"/>	एमबीएस	<input type="text"/>	<input type="text"/>
iv) नामांकन क्रमांक: <input type="text"/>	एसएमएस अलर्ट	<input type="text"/>	<input type="text"/>
v) प्रारंभिक (केवाईसी) सीमा: <input type="text"/>	प्रविष्टि हटाना	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vi) फोन बैंकिंग <input type="text"/>	स्कैनिंग	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF SB ACCOUNTS**

**DECLARATION**

- मैं संपुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बैंक तथा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं जिनमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं, किंतु ये केवल यही नहीं, से संबंधित नियम व विनियम पढ़ और समझ लिए हैं। मैं बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय समय पर परिचरों, अधिसूचनाओं, सूचना पत्र/वेबसाइटों/समाचार-पत्र प्रकाशनों आदि के माध्यम से इनमें सूचित संशोधनों/परिशोधनों का अनुपालन करने के लिए करार करता/करती हूँ। इन संशोधनों/परिशोधनों के संबंध में मुझे व्यक्तिगत सूचना दिए जाने के अधिकारों, यदि कोई हों, का परित्याग करता/करती हूँ। मैं करार करता/करती हूँ कि मेरे यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन/ओटीपी के तहत इंटरनेट, मोबाइल, टेलीबैंकिंग अथवा वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे खाते/लॉगिन में किए गए लेनदेन व अनुरोध मुझ पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे और मैं ऐसे मामलों में अधिप्रमाणन परिचय विवरणों तथा किसी अन्य जानकारी/विवरणों/ओटीपी/पिन, आदि की गुप्तता और गोपनीयता के लिए जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी। मैं करार करता/करती हूँ कि बैंक को सभी अधिकार हैं कि वह जो कोई सेवा प्रभार, खर्च या अन्य देयराशियाँ मुझसे वसूल करने का हकदार/देनदार है मेरे खाते के नाम (डेबिट) कर सके। मैं बैंक को प्राधिकृत भी करता/करती हूँ और करार भी करता/करती हूँ कि मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरा खाता बंद/समाप्त किया जा सकता है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे पत्राचार के पते अथवा संगठन में कोई परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करूँगा/करूँगी।
- आधार ब्योरे के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए पहचान करने और/अथवा पते के प्रमाण के तौर पर स्वेच्छा से प्रस्तुत किया है और मैं एतद्वारा सहमत देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता/करती हूँ कि वह बैंक को बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से मेरी पहचान और मेरा पता जारी कर सकता है। मैं इस खाते को एनपीसीआई मैपर के साथ जोड़ना हूँ, जिससे मैं इस खाते में भारत सरकार से एलपीजी सप्लि साहित डार्इरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक बेनेफिट ट्रान्सफर मिलना होगा तो मुझे इस खाते में सभी बेनेफिट ट्रान्सफर मिलेंगे।
- मैं पुरि और घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे बैंक में खाता खोलने और/अथवा खाता रखने या किसी अन्य रूप में बैंक के साथ लेनदेन करने से किन्हीं लागू कानूनी/नियामक/अनुबंधात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा प्रतिकृत/प्रतिबद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- मैं करार करता/करती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत केवाईसी ब्योरा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है। मैं एतद्वारा सहमत देता/देती हूँ कि मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से जानकारी प्राप्त करूँगा/करूँगी। मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि ऐसा कोई एसएमएस/ई-मेल प्राप्त न होने पर होने वाली किसी हानि या क्षति, चाहे जो कोई भी हो, के लिए बैंक देनदार नहीं होगा।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस मामले में मैंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 2015 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के अंतर्गत और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संदं. क्र. डीबीओआर. एएमएल.बीसी.नं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत लागू नियमों और बादे में इनमें हुए परिशोधनों/संशोधनों के अनुसार अपनी हैसियत घोषित की है।
- मैं समझता/समझती हूँ, स्वीकार करता/करती हूँ और प्राधिकृत करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासीय स्थिति और/अथवा उसके तहत निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार मेरे खाते(तों) का ब्योरा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोटिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) और/ अथवा ऐसी ही किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करना होगा।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं खाता खोलने और यहाँ अन्य सेवाएं प्राप्त करने या वेबसाइट के माध्यम से/इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे मुझ पर लागू है/हैं/होना खाता खोलने के लिए और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं/जिसे मैंने अधिप्रमाणित किया है या जिसके लिए मैंने दस्तावेजी साक्ष्य दिया है, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोक नहीं रखी है जिससे मेरे खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल अकाउंट अथवा अनेय रिपोर्टेबल खाते या अन्य किसी खाते के निर्धारण/श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि यहां मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना एवं जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या तात्किक तथ्य को दबाई हुई पाई जाती है तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मुझे इसके लिए देनदार ठहराया जा सकता है।
- मैं इस जिम्मेदारी के लिए वचन देता हूँ कि तत्काल घोषणा और प्रकटीकरण करूँगा/करूँगी और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख या यहाँ उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर या कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अधिक से अधिक 30 दिनों में देना/देनी। मैं यह भी वचन देता /देती हूँ कि मैं नया और वैध स्व-प्रमाणन दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जब भी मांग की जाएगी उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी पर यहाँ की गई सभी घोषणाएं और दिए गए वचन भी यहां मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज/जानकारी में किए गए ऐसे सभी परिशोधन/संशोधन भी तब तक लागू होंगे जब तक कि बैंक को उपयुक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।
- मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि मुझे इस समय या भविष्य में ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी के प्रकटीकरण में चूक या दस्तावेजों/सूचना/अन्य ब्योरे में किसी कमी को निर्धारित समय में दूर करने में मेरे द्वारा कोई चूक किए जाने पर मैं खाते में लेनदेन से अविधिमानी हो जाऊँगा/जाऊँगी और बैंक अपने अधिकारों के तहत उक्त प्रयोजन से मेरे खाते के परिचालन प्रतिबंधित करने या इसे बंद करने या किसी नियामक को और/अथवा सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकरण/भारतीय रिजर्व बैंक इसकी सूचना दे सकेगा या भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझी गई कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा।
- मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि कोई अन्य विवरण बैंक को प्रस्तुत और सूचित करूँगा/करूँगी जो उपयुक्त मामले में या किसी अन्य मामले में भारत में या विदेश में कि किसी कानून में कोई परिवर्तन होने के कारण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- मैं बैंक को उस प्रत्येक हानि/नुकसान की क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी जो बैंक को यहाँ प्रदत्त ब्योरे में कोई दोष/गलती के कारण या मेरे द्वारा गलत और अधूरी जानकारी देने के कारण होगा।
- मैं वचन देता/देती हूँ कि बैंक की अपेक्षानुसार समय समय पर केवाईसी जानकारी को अद्यतन करने के लिए आवश्यक नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
- मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक सम्यक तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) पूरी करने के बाद ही यह खाता सक्रिय किया जाएगा और इसमें नामे की अनुमति दी जाएगी।
- यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उस तारीख को या उसके पहले पैन प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, ऐसा धनशोधन (अभिलेख रखखाव) नियमावली 2005 के अनुसार न करने पर पैन प्रस्तुत करने के समय तक खाते में परिचालन नहीं किया जा सकेगा।
- यदि खाता खोलने समय वर्तमान पते के लिए वैध समझा गया कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं खाता खोलने के 3 मास में वर्तमान पते के प्रमाणस्वरूप आधार या कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, भारत सरकार के अनुदेशानुस उस समय मेरा खाता परिचालित नहीं रहेगा।
- मुझे स्वागत किट प्राप्त हो गई है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग किट और एटीएम/चेक बुक शामिल है और मैं समझता/समझती हूँ कि किट के किसी दुरुपयोग/गलत जगह पर रख दिए जाने के कारण बैंक किसी हानि/क्षति के लिए देनदार नहीं होगा।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल बैंक-व्यवसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन के लिए किया जाएगा। यदि ऐसा कोई लेनदेन किया जाता है या ऐसा कोई लेनदेन वाणिज्यिक/व्यावसायिक/संदेशजनक या आवाञ्छनीय पाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार है कि उस खाते में एकतरफा परिचालन रोक दे और/अथवा उस खाते को बंद कर दे।
- मुझे खोले जाने वाले खाते के औसत मासिक शेष (एएमबी) की अपेक्षा के बारे में बताया गया है और मैंने इसे समझ लिया है कि इन अपेक्षाओं में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है और ये संशोधन/परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस आशय की सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
- मैं पुरि करता/करती हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं (बीएसबीडी खाते के लिए आवेदन हेतु लागू) मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।
- मैं पावती देता/देती हूँ कि बचत बैंक खाता नियम और विनियम मुझे प्राप्त हो गए हैं।
- मुझे बताया गया है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं देूँगा तो मैं एटीएम नकदी आहरण को छोड़कर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सुविधा का पात्र नहीं होऊँगा/होऊँगी।
- (समाज कल्याण लाभों के लिए खोले गए खातों हेतु लागू) मैं समझता/समझती हूँ कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैं बीएसबीडी खाता जारी नहीं रखना चाहूँगा/चाहूँगी और सामान्य बचत बैंक रखना चाहूँगा/चाहूँगी तो मुझे सामान्य बचत बैंक खाते के लिए आवश्यक औसत मासिक शेष (एएमबी) रखना होगा। इसलिए मैं बचत देता/देती हूँ कि यदि मैं सामान्य बचत बैंक खाता रखना चाहूँगा/चाहूँगी तो मुझे खाते में एएमबी अवश्य बनाए रखना होगा।
- (अवयवकों के नाम में खोले गए खातों के लिए लागू) मैं समझता/समझती हूँ कि आवेदक के वयस्क होते ही औसत मासिक शेष (एएमबी) की अपेक्षा और इस अपेक्षा को पूरा न किए जाने पर इस खाते में दंड लगाया जाएगा। इसलिए मैं वयस्क होने की तारीख से औसत मासिक शेष (एएमबी) बनाए रखना होगा।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं वचन देता/देती हूँ कि इनमें कोई परिवर्तन होने पर तत्काल आपको सूचित करूँगा/करूँगी और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से कोई विवरण झूठे या असत्य या भ्रामक या तात्किक तथ्य को दबाने वाले पाए गए तो मैं इसके लिए देनदार होऊँगा/होऊँगी।
- मैं/हम पुरि करता/करती हूँ/करते हैं कि खाते के उत्पाद की विशेषताएं मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।

**पावती डीए -1**

हम निम्नलिखित के पक्ष में नामांकन प्राप्त किए जाने की पावती देते हैं:

नामिती का नाम .....आयु:.....वर्ष:.....

Date:  
Yours faithfully

आपके खाता क्रमांक .....के संबंध में

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अधिकृत हस्ताक्षरी

**बचत बैंक नियम (संक्षेप में)**

अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश

खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति, निर्धारित नियमों का पालन करने का करार करके, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्ते वह बैंक द्वारा अपेक्षित पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा

नामांकन सुविधा बचत बैंक खातों में उपलब्ध है और खातेदारों को सूचित किया जाता है कि अकल्पित परिस्थितियों में कानूनी वारिसों द्वारा दावे के शांतिपूर्ण निपटान के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाए। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते तो खाता खोलने के फॉर्म में यह तथ्य दर्ज किया जा सकता है जिस पर उन्हें अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। उत्तरजीविता लाभ वाले संयुक्त खाते का परिचालन उन परिस्थितियों में उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है।

## TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF SB ACCOUNTS

खातों के प्रकार, शेष संबंधी शर्त और सेवा प्रभार

आवेदक चेकबुक सुविधा या बिना चेकबुक खाता खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष तथा न्यूनतम शेष न रखने पर निर्धारित प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं रखी गई है सिवाय अवयवों के खातों के।

अवयवों के खाते

अवयव एक एकसमान हस्ताक्षर रख सकते हैं और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम नहीं है अपने अकेलों के नाम में खाते खोल सकते हैं और उनमें 10,00,000/- (रुपये दस लाख केवल) की अधिकतम शेष राशि जमा रख सकते हैं। अवयव अपने संरक्षकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं।

कैसे खाता खोलें?

सामान्यतया, आवेदक (कों) को खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित आवेदन पत्र विधिवत स्वयं भरेंगे। आवेदक (कों) को केवाईसी दस्तावेज, भारतीय रिजर्व बैंक/सीबीडीटी को जैसे लागू है तदनुसार घोषणा करनी होगी और हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। आवेदक खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। खातेदारों के हस्ताक्षर ठीक से किए हुए और पठनीय होने चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में या ब्लॉक लैटिन में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक अलग खाता क्रमांक दिया जाएगा। बैंक के साथ लेनदेन करते समय खातेदार (रॉ) को अपना खाता क्रमांक अवश्य उद्धृत करना चाहिए। खातेदारों के अपने हित में हैं कि वे बैंक में दर्ज कराए गए नमूना हस्ताक्षरों के अनुसार खाता परिचालित करते समय और बैंक के साथ कोई पत्राचार आदि करते समय समान हस्ताक्षर करें।

पासबुक खातेदार को दी गई पासबुक और चेकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खातेदारों की लापरवाही के कारण कोई हानि या गलत भुगतान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फॉर्म द्वारा नकदी निकालते समय पास बुक अवश्य प्रस्तुत की जाए। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके आहरण बिना पास बुक भी किया जा सकता है। राशि जमा करते समय पास बुक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पास बुक नियमित रूप से अद्यतन कराई जाए। लेनदेन पूरा होने के तुरंत बाद पास बुक विधिवत अद्यतन करके खातेदार को लौटा दी जाएगी। यदि यह एक सप्ताह के भीतर वापस प्राप्त नहीं की जाती है तो यह रजिस्टर्ड ए.डी. डाक/कूरियर द्वारा लौटा दी जाएगी, जिसका खर्च खातेदार को वहन करना होगा। खातेदार पास बुकों में की गई प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें और यदि कोई भूल या चूक दो तो इसे बैंक के ध्यान में लाएं। गुम हुई या कटी-फटी पास बुक के बदले डुप्लीकेट पास बुक खातेदार के लिखित अनुरोध पर आवश्यक पूछताछ करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित प्रभार वसूल करने के बाद जारी की जाएगी। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक

बैंक पहली पास बुक खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी करेगा। बैंक चेक बुक लागू प्रभार वसूल करके ही जारी करेगा। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातेदार बैंक द्वारा उन्हें जारी चेक बुकों ही उपयोग करें। बैंक को यह अधिकार है कि वह अन्य किसी प्रकार से जारी किन्हीं चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दे। सामान्यतया, बैंक एक बार में एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी चेक बुक के सभी पन्ने समाप्त होने के पहले या सभी चेक पन्ने लगभग समाप्त होने पर जारी करेगा। चेक ऐसे लिखे जाने चाहिए कि इन्हें ठीक से पढ़ा जा सके। जारी या गुम हुए चेकों के संबंध में भुगतान रोकने के अनुरोध निर्धारित सेवा प्रभार भुगतान करके बैंक में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य

बचत बैंक खाता मूलतः बचत राशि को जमा करने की एक सुविधा है। इसका उपयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के पास यह मानने का यदि कोई कारण होगा कि खातेदार ने अनुमत प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खाते का उपयोग किया है तो बैंक उस खाते को बंद कर देगा।

जमा राशियां

केवल तीन नकदी जमा लेनदेन एक महीने में निःशुल्क किए जा सकते हैं। नॉन होम शाखा में नकदी जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। 10/- से कम राशि जमा करने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखित जो खातेदार के नाम में काटे गए होंगे खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खातेदार के पक्ष में परांकित अन्य पक्ष लिखित स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकृत लिखतों पर कोई आहरण तब तक सामान्यतया स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी उमाही नहीं की गई होगी। संतोषजनक ढंग से संचालित खातों में बाहरी/स्थानीय लिखतों की राशि समय समय पर निर्धारित मूल्य तक तत्काल जमा कर दी जाएगी। सामान्य कलेक्शन और ऑउट ऑफ पॉकेट चार्जिस वसूल किए जाएंगे। वर्तमान सीमा और इसके लिए निर्धारित चार्जिस बैंक वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अतिदेय ब्याज बिना भुगतान वापस आए लिखतों पर वसूल किया जाएगा। खाते से पैसा निकालना (आहरण) खातेदार बैंक के मानक आहरण फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से स्वयं पैसा निकाल सकता है। पासबुक आहरण फॉर्म के साथ अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। आहरण फॉर्म खातेदार द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। खातेदार 50 से कम राशि नहीं निकाल सकता। सभी आहरण केवल पूर्ण रुपये में होने चाहिए। अन्य पक्ष भुगतान आहरण फॉर्म से करने की अनुमति नहीं है। यदि खातेदार स्वयं पैसा निकालने के लिए आने में असमर्थ हो तो किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक प्राधिकार-पत्र निर्धारित फॉर्म में पास बुक के साथ खाते से नकद पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक को भेजा जाना चाहिए। किसी एक चेक फॉर्म से कम से कम 50 की राशि निकाली जा सकती है। किसी खाते से अधिकतम कितनी निःशुल्क डेबिट प्रविष्टियों की जा सकती हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाते में कितना औसत मासिक शेष है या बैंक भी यह राशि समय समय पर निर्धारित कर सकता है। इस सीमा से अधिक प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं।

ओवरड्राफ्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं से असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत किया जाएगा। खाते में शेष से अधिक राशि के चेक बिना भुगतान वापस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त शेष न होने पर बिना भुगतान वापस आने वाले एक चेक के लिए हर बार सेवा प्रभार वसूल किए जाएंगे। निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

अपरिचालित खाते

खातेदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। अपरिचालित खातों को पिछले खाता परिचालन के 24 महीनों के निर्धारित समय में अपरिचालित के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अनुरोध

खातेदार बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह समय समय पर बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान सेवा प्रभार वसूल कर उसके खाते का नाम करके करे। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार समय समय पर लागू ब्याज दरों के अनुसार। ब्याज की गणना दैनिक गुणफल आधार पर की जाएगी। ब्याज तिमाही अंतरालों पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा यदि उसकी राशि 1 या अधिक होगी। उसके बाद 50 पैसे और अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और अन्यथा उसे अनदेखा किया जाएगा। यदि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा खाते में परिचालन पर रोक लगा दी जाती है तो भी खाते में नियमित रूप से ब्याज जमा किया जाता रहेगा।

अंतरण (ट्रांसफर) और खाता बंद करना

खातेदार (रॉ) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच पैसे अंतरण (ट्रांसफर) किए जा सकते हैं। खाता बंद करने के अनुरोध में खाता बंद करने के कारण का उल्लेख किया जाए। ऐसे अनुरोध के साथ पास बुक प्रस्तुत की जाए। संयुक्त खाते उनके सभी संयुक्त हस्ताक्षरियों के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं। सेवा प्रभार निर्धारित दर पर वसूल किए जाएंगे यदि खाता खोले जाने के एक वर्ष तक 14 दिनों में बंद कर दिया जाता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाते ऑनलाइन भी अंतरण (ट्रांसफर) किए जा सकते हैं।

नियमों में परिवर्तन

बैंक को यह अधिकार है कि वह इन नियमों एवं सेवा प्रभारों में परिवर्तन, समापन और परिवर्धन कर सकता है जिसकी जानकारी ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा सूचना पट्ट के माध्यम से दी जाएगी। की जा सकती है।

बीएसबीडी खाते की विशेषताएँ

- i. नकदी जमा बैंक शाखा के साथ साथ एटीएम/सीडीएम मशीनों में की जा सकती है।
- ii. किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों के चेकों द्वारा जमा की गई/उमाही गई राशि की रसीद/जमा दी जाएगी।
- iii. महीने में राशि कितनी भी बार और कितने भी मूल्य के लिए जमा की जा सकती है।
- iv. न्यूनतम आहरण एटीएम आहरण सहित
- v. एटीएम कार्ड या एटीएम सह डेबिट कार्ड

## आयकर नियम, 1962

फॉर्म क्र.60

[देखें नियम 114 बी का दूसरा उपबंध]

घोषणा पत्र जो किसी व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति (कोई कंपनी या फर्म नहीं) द्वारा भरा जाएगा जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और जो नियम 114बी में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है

1	प्रथम नाम		मध्य नाम		कुल नाम	
2	जन्म तिथि /घोषणाकर्ता का निगमन					
3	पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)					
4	फ्लैट नं./फ्लोर नं.					
5	परिसर का नाम / ब्लॉक नाम और नं.					
6	सड़क / गली / लेन					
7	क्षेत्र / स्थान					
8.	नगर/जिला/राज्य					
9	पिन कोड					
10	टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)					
11	मोबाइल नंबर					
12	लेनदेन की राशि (रु.)					
13	लेनदेन की तारीख					
14	संयुक्त नामों में लेनदेन के मामले में, लेनदेन में शामिल व्यक्तियों के नंबर					
15	लेनदेन का माध्यम	नकद	चेक	कार्ड	ड्राफ्ट/बैंकर चेक	ऑनलाइन ट्रांसफर अन्य
16	यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो):					
17	यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह अब तक नहीं मिला है तो आवेदन करने की तारीख और पावती क्रमांक लिखें : _____ दिनांक : _____					
18	यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो, उस वर्ष की अनुमानित कुल आय लिखें (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल करें), जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है (क) कृषि आय (रु.) _____ (ख) कृषि को छोड़कर अन्य आय (रु.) _____					
19	कॉलम 1 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज का ब्योरा (देखें पीछे दिए अनुदेश)	दस्तावेज कोड	दस्तावेज पहचान क्रमांक	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम		
20	कॉलम 4 से 13 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज का ब्योरा (देखें पीछे दिए अनुदेश)	दस्तावेज कोड	दस्तावेज पहचान क्रमांक	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम		

## सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जो ऊपर कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित आय (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल है) की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है जिसमें यह लेनदेन हुआ और यह लागू आयकर की अधिकतम छूट की राशि से कम है।

आज सत्यापन किया गया दिन \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_ (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

दृष्टव्य: घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता अपनी संतुष्टि कर लें कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी हर तरह से सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणापत्र में झूठी जानकारी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर दंड दिया जाएगा।

(i) यदि किसी मामले में कर चोरी की राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक होगी तो कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी और जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा;

(ii) अन्य मामले में, कठोर कारावास का दंड जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और इसे दो वर्ष तक जुर्माना साथ बढ़ाया जा सकेगा।

2. घोषणापत्र स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस स्थिति में घोषणापत्र स्वीकार नहीं करेगा यदि मद 22बी में उल्लिखित प्रकार की आय की राशि उस राशि से अधिक होगी जो आयकर की अधिकतम छूट की राशि है और पैन के लिए भी आवेदन नहीं किया गया होगा तथा कॉलम 21 विधिवत भरा नहीं होगा।

**निर्देश:**

(1) दस्तावेज जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद 20 भरा गया है, तो आवश्यकता नहीं):

क्र.	दस्तावेजों का प्रकार	दस्तावेज कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए			
1	आधार कार्ड	01	हाँ	हाँ
2	बैंक/डाक घर पासबुक जिस पर व्यक्ति का फोटो हो	02	हाँ	हाँ
3	मतदाता फोटो पहचान पत्र	03	हाँ	हाँ
4	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिस पर व्यक्ति का फोटो हो	04	हाँ	हाँ
5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हाँ	हाँ
6	पासपोर्ट	06	हाँ	हाँ
7	पेन्शनर फोटो कार्ड	07	हाँ	हाँ
8	नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (NREGS) जॉब कार्ड	08	हाँ	हाँ
9	जाति या अधिवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हाँ	हाँ
10	पहचान/पता प्रमाणपत्र (फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक क के अनुसार) जो किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर निगम पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो	10	हाँ	हाँ
11	नियोक्ता का प्रमाणपत्र फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक ख के अनुसार	11	हाँ	हाँ
12	किसान पासबुक जिस पर घोषणाकर्ता की फोटो हो	12	हाँ	नहीं
13	हथियार लाइसेंस	13	हाँ	नहीं
14	सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम /एक्स सर्विसमेन कन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम	14	हाँ	नहीं
15	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हाँ	नहीं
16	बिजली बिल (3 महीने से अधिक पहले का न हो)	16	नहीं	हाँ
17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पहले का न हो)	17	नहीं	हाँ
18	पानी बिल (3 महीने से अधिक पहले का न हो)	18	नहीं	हाँ
19	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइपड गैस बिल	19	नहीं	हाँ
20	बैंक खाता विवरण (3 महीने से अधिक पहले का न हो)	20	नहीं	हाँ
21	क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पहले का न हो)	21	नहीं	हाँ
22	डिपोजिटरी खाता विवरण (3 महीने से अधिक पहले का न हो)	22	नहीं	हाँ
23	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हाँ
24	सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र	24	नहीं	हाँ
25	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिस पर व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हाँ
26	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से पहले का न हो)	26	नहीं	हाँ
ख	व्यक्ति संघ (ट्रस्ट)			
	ट्रस्ट डीड की प्रति या चैरिटी कमिशनर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	27	हाँ	हाँ
ग	व्यक्ति संघ (ट्रस्टों को छोड़कर) या व्यक्ति निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या आर्टिफिशियल ज्यूरिडीशल पर्सन। ) करार की प्रति या चैरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति पंजीकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्र या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र जिससे उस व्यक्ति की पहचान और पता प्रमाणित होता हो।	28	हाँ	हाँ

(2) यदि किसी अवयस्क के नाम में लेनदेन किया गया है, तो उस अवयस्क के माता-पिता/संरक्षक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किसी उपर्युक्त दस्तावेज को अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणापत्र पर माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(3) हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के मामले में हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के नाम में कोई दस्तावेज होना चाहिए।

(4) यदि लेनदेन एक से अधिक व्यक्ति के नाम में हैं तो क्रम संख्या 18 पर व्यक्तियों की कुल संख्या और क्रम संख्या 16 में लेनदेन की कुल राशि भरी जानी चाहिए।

यदि कॉलम 22बी में अनुमानित कुल आय लिए जाने वाले आयकर की अधिकतम छूट की राशि से अधिक होगी तो उस व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना होगा और मद 21 भरना होगा तथा उक्त आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।



संबंधित व्यक्ति का ब्योरा (अवयस्क द्वारा भरा जाए)

ग्राहक आईडी:  सीकेवाईसी नं.:

खाता सं.:

नाम\*:

संबंधित व्यक्ति जोड़ना  संबंधित व्यक्ति को हटाना

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी

संबंधित व्यक्ति का प्रकार\*  अवयस्क का संरक्षक  समनुदेशिती (असाइनी)  प्राधिकृत प्रतिनिधि

नाम\*:

Prefix  
(यदि केवाईसी नंबर और नाम दिया गया है तो नीचे ब्योरा देना ऐच्छिक है)

संबंधित व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (POI)\*

क-पासपोर्ट

ख-मतदाता पहचान पत्र

ग-ड्राइविंग लाइसेन्स

घ-यूआईडी(आधार)

ङ-नरेगा जॉब कार्ड

च-नेशनल पाप्युलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का ब्योरा हो

छ-अन्य केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र (Any Document notified by the Central Government/RBI)

दस्तावेज सं./पहचान संख्या\*

जारी करने की तारीख\*:  अवधि समाप्ति की तारीख (यदि लागू हो):\*

टिप्पणी:

FATCA घोषणा पत्र

ग्राहक आईडी:  सीकेवाईसी नं.:

खाता सं.:

नाम\*:

Prefix

नागरिकता\*:  IN-इंडिय  अन्य देश का नाम:

जन्म स्थान/शहर\*:  जन्म देश\*:

पता\*:

शहर/गाँव\*:  जिला\*:

राज्य\*:  पिन\*:

मल्टीपल टैक्स रेजिडेंसी: कर देश का ब्योरा भारत में निवास, और/या यूएसए में और/या कोई अन्य देश या भारत के बाहर कोई क्षेत्र:

कर निवास देश#	कर पहचान संख्या या समतुल्य यदि अधिकार क्षेत्र में जारी किया गया है	पहचान प्रकार (TIN या अन्य, कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ⓐ \* यूएस का कोई नागरिक जिसमें यूएस में जन्मे किन्तु किसी अन्य देश के निवासी व्यक्ति भी शामिल हैं (जिन्हें यूएस की नागरिकता नहीं दी गई है

\* यूएस का निवासी कोई व्यक्ति जिसमें यूएस ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल है

\* कतिपय व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष यूएस में 180 दिनों से अधिक व्यतीत करते हैं

अधिकार क्षेत्र/देश में पता-जहाँ आवेदक टैक्स के प्रयोजन से भारत के बाहर निवास करता है

पता\*:

शहर/गाँव\*:  जिला\*:

उप जिला:  राज्य\*:

देश का नाम\*:  ZIP/पोस्ट कोड\*:

स्थान:

दिनांक:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

**निर्देश:**

(1) दस्तावेज जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे (यदि पैर के लिए आवेदन किया गया है और मद 20 भरा गया है, तो आवश्यकता नहीं):

क्र.	दस्तावेजों का प्रकार	दस्तावेज कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए			
1	AADHAR card	01	Yes	Yes
2	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person	02	Yes	Yes
3	Elector's photo identity card	03	Yes	Yes
4	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person	04	Yes	Yes
5	Driving License	05	Yes	Yes
6	Passport	06	Yes	Yes
7	Pensioner Photo card	07	Yes	Yes
8	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job Card	08	Yes	Yes
9	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person	09	Yes	Yes
10	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A	10	Yes	Yes
11	Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form 49A	11	Yes	Yes
12	Kisan passbook bearing photo	12	Yes	No
13	Arm's license	13	Yes	No
14	Central Government Health Scheme/ Ex -Service men contributory Health Scheme	14	Yes	No
15	Photo identity card issued by the government/Public Sector Undertaking	15	Yes	No
16	Electricity bill (Not more than 3 months old)	16	No	Yes
17	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)	17	No	Yes
18	Water bill (Not more than 3 months old)	18	No	Yes
19	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than months old)	19	No	Yes
20	Bank Account Statement (Not more than 3 months old)	20	No	Yes
21	Credit Card statement (Not more than 3 months old)	21	No	Yes
22	Depository Account Statement (Not more than 3 months old)	22	No	Yes
23	Property registration document	23	No	Yes
24	Allotment letter of accommodation from Government	24	No	Yes
25	Passport of spouse bearing name of the person	25	No	Yes
26	Property tax payment receipt (Not more than one year old)	26	No	Yes
B	<b>For Association of persons (Trusts)</b>			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner	27	Yes	Yes
C	<b>For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person)</b>			
	Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity commissioner or Registrar of Cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person.	28	Yes	Yes

(2) In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above-mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian.

(3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.

(4) In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 18 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 16.

In case the estimated total income in column 22b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 21 and furnish proof of submission of application.